वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली – 110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi - 110001

सा०/No. : 5-1(428)/2017-PD

दिनांक/Dated: 01.07.2021

प्रेषक / From : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Office Memorandum issued by the Government of India for your information, guidance and compliance:

क्रम सं. Sl. No.	कार्यालय ज्ञापन सं/ . Office Memorandum No.	विषय/ Subject
1.	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का कार्यालय ज्ञापन सं० 1/1(2)/2020-पी & पी डब्ल्यू (ई)/भाग-I दिनांक 12.02.2021 Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Pension & Pensioners Welfare Office Memorandum No. 1/1(2)/2020-P&PW (E) Part-1 dated 12.02.2021	7वें सीपीसी के पश्चात माता और पिता दोनों से सम्बंधित बच्चे को देय दो कुटुंब पेंशनो के सीमाओं का संशोधन Revision of limits of two family pensions payable to a child in respect of both the parents after the 7th CPC.

भवदीय/Yours faithfully

(राजीव शर्मा / Rajeev Sharma)
उप सचिव (नीति प्रभाग) / DS (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ/
Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.

2) कार्यालय प्रति/Office copy.

1/1(2)/2020-पी & पी डब्ल्यू (ई)/भाग-I
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
(डेस्क- ई)

तीसरा तल, लोक नायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 12 फरवरी, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- 7वें सीपीसी के पश्चात माता और पिता दोनों से संबंधित बच्चे को देय दो कुटुंब पेंशनों के सीमाओं का संशोधन

केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 54 के उप-नियम (11) के अनुसरण में, यदि पत्नी और पति दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और उस नियम के प्रावधानों द्वारा प्रशासित होते हैं, तो उनके दिवंगत होने पर, उनके उत्तरजीवी बच्चा/बच्चे, दिवंगत माता-पिता से संबंधित दो कुटुंब पेंशन का/के पात्र है/हैं। वर्तमान नियम 54 के अनुसार, यदि माता-पिता में से किसी एक की सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत्यु हो जाती है, तो मृतक से संबंधित कुटुंब पेंशन जीवित पति या पत्नी को देय होगी और पति या पत्नी की मृत्यु की स्थिति में, जीवित बच्चे या बच्चों को मृतक माता-पिता से संबंधित दो कुटुंब पेंशन दी जाएगी, जो नीचे दी गई सीमाओं के अध्यधीन हैं:

(क)(i) यदि उत्तरजीवी बच्चा या बच्चे नियम 54 के उप-नियम (3) में उल्लिखित दर पर दो कुटुंब पेंशन आहरण के लिए पात्र है/हैं, तो दोनों कुटुंब पेंशनों की राशि पैंतालीस हजार रुपये प्रति माह तक सीमित होगी;

(ii) यदि नियम 54 के उप-नियम (3) में उल्लिखित दर पर दो कुटुंब पेंशनों में से किसी एक कुटुंब पेंशन की देयता समाप्त होती है, और नियम 54 के उप-नियम (2) में उल्लिखित दर पर कुटुंब पेंशन के बदले में देय होता है, तो दोनों पेंशनों की राशि भी पैंतालीस हजार रुपये प्रति माह तक सीमित होगी।

(ख) यदि दोनों कुटुंब पेंशन नियम 54 के उप-नियम (2) में उल्लिखित दरों पर देय हैं, तो दोनों कुटुंब पेंशनों की राशि सत्ताईस हजार रुपये प्रति माह तक सीमित होगी।

2. वर्तमान नियम 54(11) में रु 45,000/- प्रति माह और रु 27,000/- प्रति माह की सीमा छठे सीपीसी में रु 90,000/- के उच्चतम वेतन के क्रमशः 50% और 30% की दर से निर्धारित किया गया था और दिनांक 8 जून, 2011 (जीएसआर 176, दिनांक 11 जून, 2011) के अधिसूचना संख्या 38/80/2008-पी&पीडब्ल्यू(ए) के तहत अधिसूचित किया गया था।

3. इस विभाग में 7वें सीपीसी के पश्चात, माता और पिता दोनों से संबंधित बच्चे/बच्चों को देय दो कुटुंब पेंशनों की सीमा के संबंध में संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

4. 7वें सीपीसी के पश्चात, सरकार में उच्चतम वेतन 2,50,000/- रु प्रति माह संशोधित किया गया है। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि, दिनांक 01.01.2016 से, नियम 54(11)(ए)(i) और (ii) में पैंतालीस हजार रुपये प्रति माह की राशि एक लाख पच्चीस हजार रुपये प्रति माह (रु 2,50,000 का 50% होने के कारण) तक संशोधित होगी और नियम 54(11)(बी) में सत्ताईस हजार रुपये प्रति माह की राशि पचहत्तर हजार रुपये प्रति माह (रु 2,50,000 का 30% होने के कारण) तक संशोधित होगी।।

5. इस संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली का औपचारिक संशोधन अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

(संजय शंकर)
भारत सरकार के उप सचिव
टेलीफोन-24644632

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. राष्ट्रपति सचिवालय
3. उपराष्ट्रपति सचिवालय
4. प्रधानमंत्री कार्यालय
5. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
6. मंत्रिमंडल सचिवालय
7. संघ लोक सेवा आयोग
8. एनआईसी को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

1/1(2)/2020-P&PW (E) Part-1
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi
Dated 12th February, 2021

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of limits of two family pensions payable to a child in respect of both the parents after the 7th CPC.

In accordance with sub-rule (11) of rule 54 of the Central Civil Services (Pension) Rules 1972, in case both wife and husband are Government servants and are governed by the provisions of that rule, on their death, the surviving child/children is/are eligible for two family pensions in respect of the deceased parents. As per the existing rule 54, if one of the parents dies while in service or after retirement, the family pension in respect of the deceased shall become payable to the surviving husband or wife and in the event of the death of the husband or wife, the surviving child or children shall be granted the two family pensions in respect of the deceased parents, subject to the limits specified below:

(a) (i) If the surviving child or children is or are eligible to draw two family pensions at the rate mentioned in sub-rule (3) of Rule 54, the amount of both the family pensions shall be limited to forty-five thousand rupees per month;

(ii) If one of the family pensions ceases to be payable at the rate mentioned in sub-rule (3) of Rule 54, and in lieu thereof the family pension at the rate mentioned in sub-rule (2) of Rule 54 becomes payable, the amount of both the pensions shall also be limited to forty-five thousand rupees per month.

(b) If both the family pensions are payable at the rates mentioned in sub-rule (2) of Rule 54, the amount of two family pensions shall be limited to twenty-seven thousand rupees per month.

2. The limits of Rs 45,000/- per month and Rs 27,000/- per month in the existing Rule 54(11) were determined at the rate of 50% and 30%, respectively, of the highest pay of Rs. 90,000/- in the 6th CPC and were notified vide Notification No.38/80/2008-P&PW (A) dated 8th June, 2011 (GSR 176 dated the 11th June, 2011).

3. References have been received in this Department in regard to the limits of two family pensions payable to child/children in respect of both the parents, after the 7th CPC.

4. The highest pay in the Government has been revised to Rs. 2, 50,000/-per month after the 7th CPC. Accordingly, it is clarified that, **with effect from 01. 01. 2016**, the amount of Rupees

forty five thousand per month in Rule 54(11)(a)(i) & (ii) shall stand revised to Rupees one lakh-twenty-five thousand per month (being 50% of Rs.2,50,000/-) and the amount of twenty Seven thousand per month in Rule 54(11)(b) shall stand revised to Rupees seventy five thousand per month (being 30% of Rs. 2,50,000/-).

5. Formal amendment to the Central Civil Services (Pension) Rules in this respect shall be notified separately.

Sanjoy Shankar
Deputy Secretary to the Government of India
Ph. 24644632

1. All Ministries/Departments of the Government of India
2. President's Secretariat
3. Vice President's Secretariat
4. Prime Minister's Office
5. Comptroller & Auditor General of India
6. Cabinet Secretariat
7. Union Public Service Commission
8. NIC for uploading in the Website